न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर (दरभंगा)

वाद सं0:– 86/2012–13

अन्तर्गत बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009

गुलाम मुस्तफा .....वादी।

बनाम,

आलमदार वगैरह.....प्रतिवादीगण।

-: आदेश :-

31.07.13

यह वाद गुलाम मुस्तफा के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत आवेदन देने पर प्रारंभ किया गया। वाद की प्रविष्टि करते हुए प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादीगण अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना ब्यान तहरीरी दाखिल किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह कि वादी द्वारा उक्त वाद अपने हक की प्राप्ति के लिए दायर किया गया है।

यह कि वादी के पिता अली मुसा अंसारी तीनों लड़कों को बराबर–बराबर हिस्सो में बांटकर दे दिये। यह कि वादी अपने जीविकोपार्जन के लिए गॉव से बाहर मजदूरी करने के लिए गया। इसी बीच वादी के पिता अली मूसा अंसारी बीमार रहने लगें और बुढ़ापे के कारण कमजोर सा हो गये जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ईलाज के बहाने अपने पिता को घर से बाहर लाया। एवं गलत तरीके एवं गलत नीयत से एक बसीयतनामा पर हस्ताक्षर वो अंगुठें का निशान बनवाया।

उक्त बसीयतनामा प्रतिवादी नं0 – 1 अपनी पत्नी प्रतिवादी संख्या– 2 के नाम रजिस्ट्रर्ड करवाने से सही सावित नही होता उसे कार्यान्वयन के लिए उक्त वसीयत धारी को जिला जज के यहॉ प्रोबेट का वाद दायर करना चाहिए था और उक्त वाद के डिग्री होने के बाद ही उक्त बसीयतनामा को सही वो मान्य समझा जा सकता था। उक्त बसीयतनामा के मजमुन के अन्त में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मनमोकिर वो मोकिर अलह कानूनी प्रोबेट कराकर रसीद कटा लेगें।

प्रतिवादी द्वारा बनाया गया बसीयतनामा सरासर गलत बेबुनियाद वो जालसाजी से भरा हुआ है। चूँकि बगैर प्रोबेट वाद दायर किये विना उक्त बसीयतनामा रददी का टुकड़ा है और उक्त बसीयत नामा को आधार मानना कोई कानूनी बैधता नहीं है।

यह कि प्रतिवादी का यह कहना कि बसीयतनामा को तोड़ने का अधिकार उक्त न्यायालय को नहीं है सरासर गलत वो कानून से पड़ें है। चूँकि बगैर प्रोबेट के बसीयतनामा अधुरा वो रददी कायम है।

प्रतिवादी का यह भी कहना गलत है कि मरहुम मो0 मुख्तार को वादी द्वारा प्रतिवादी नहीं बनाया गया इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है जो गलत है। चूँकि मुसलिम कानून के अन्तर्गत विधवा का ससुर के

चल वो अचल संपति पर किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं रहता है यदि ससुर द्वारा कोई सम्पति अपने मर्जी से यदि उक्त विधवा को दिया जाता है तो ही उसका उस पर अधिकार होगा। अतः मुसलिम कानून के आधार पर उस विधवा एवं उसके वारीसान को प्रतिवादी बनाना जरूरी नहीं था।

यह कि वादी अपने वाद पत्र में अपने हिस्से की जमीन को प्राप्ति के लिए उक्त वाद दायर किया और न्यायालय वादी के अनुतोष को स्वीकार करने में कही कोई कानूनी अरचन नहीं है।

यह के वाद पत्र को स्वीकार कर वादी को उसका हक न्यायालय द्वारा दिलाया जाय। चूँकि बसीयतनामा निरस्त करने एवं स्वीकार करने का कोई कारण ही नहीं बनता। चूँकि बसीयतनामा अधुरा है। और उसे पूर्ण करने (प्रोबेट दाखिल करने) की अवधि भी समाप्त है।

अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि वादी के वाद पत्र को स्वीकार कर वादी को उसका हक दिलाया जाय इसके लिए वादी सदा श्रीमान का अभारी रहेगा।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह कि जिस गलत अनुमान वों ब्यानात के आधार पर वर्त्तमान मुकदमा दायर किया गया है काबिल चलने का नहीं है। यह कि आवेदक गुलाम मुस्तफा को कोई हक वो वजह वास्ते दायर करनें वर्त्तमान मुकदमा हासिल नहीं हैं। यह कि वर्त्तमान वाद वेभर, स्टोपेल, वो एक्वीसेन्स के सिद्धान्तो से पीड़ित है।

यह कि वर्त्तमान वाद काल नियम से भी बाधित है। यह कि वर्त्तमान वाद पक्षकारो के दोष से भी पीड़ित है। यह कि ब्यानात मुन्दरजे दफा नं0–1 वाद पत्र आवेदक के पक्षपातपूर्ण का रवैया से पूर्ण है। क्योकि प्रार्थी विपक्षी भी मजदूर वर्ग के लोग है तथा गरीब परिवार से आते है। यह कि ब्यानात मुन्दरजे दफा नं0– 2 मूल आवेदन का आंशिक रूप से सही वो आंशिक रूप से गलत है। यह बात सही है कि आवेदक तीन भाई, गुलाम मुस्तफा वादी, मो0 आलमदार विपक्षी सं0 1 और एक मो0 मुख्तार अब मृतक भाई था। मो0 मोख्तार आज से 7–8 वर्ष कवल स्वर्गीय हो गए।

यह कि वादी ने मृतक भाई मो0 मोख्तार के जायज वारसानों को वर्त्तमान मोकदमा में पक्षकार नही बनाया है। यह कि वर्त्तमान मोकदमा के अन्तिम और प्रभावी निष्पादन के लिए मो0 चॉद बाबू, मो0 इस्तियाक, मो0 एकलाख, मो0 अस्फाक पेसरान मो0 मोख्तार बीबी सोनी खातुन, मो0 मोख्तार सभी साकिन– मौजा, हरियठ, टोला, मनहर , पो0 हरियठ ओ0 पी0 अलीनगर, वो अंचल, अलीनगर जिला, दरभंगा की मौजुदगी नेहायत जरूरी है।

यह कि जबतक उक्त व्यक्तियों को वर्त्तमान वाद में पक्षकार नहीं बनाते है तबतक वर्त्तमान मोकदमा चल नहीं सकता। यह कि ब्यानात मुन्दरजे दफा नं0– 2 आवेदन यह वयानात गलत है कि चूँकि वादी मजदूरी के लिए बाहर रहता था जिसका नजायज लाभ उठाकर प्रार्थी प्रतिवादी मो0 आलमदार अंसारी गलत दस्तावेज बनाकर आवेदक के हिस्से की जमीन अपने नाम कर लिया।

यह कि वादी ने विपक्षी सं0– 1 मो0 आलमदार का वर्त्तमान

मोकदमा मे पक्षकार बनाकर भारी भूल की है। निबंधित बसीयतनाम नं0 100 दिनांक 30.08.2012 नविस्ते अली मुसा अंसारी बहक वो बनाम रसीदा खातुन प्रतिवादी सं0–2 के आलोक में विपक्षी सं0– 1 आलमदार की उपस्थिति की जरूरत नहीं है।

यह कि वर्त्तमान मुकदमा के पक्षकार जाति के मुस्लिम है तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ से प्रशासित होते है। यह कि जबतक आवेदक निबंधित बसीयतनामा नं0 100 दिनांक 30.08.2012 नविस्ते अली मूसा अंसारी बहक वो बनाम रसीदा खातुन विपक्षी सं0 2 को सक्षम न्यायालय से विखंडित नही किया जाता है वादी कुछ भी पाने से हकदार नही हैं। यह कि निबंधित बसीयतनामा नं0 100 दिनांक 30.08.2012 नविस्ते अली मूसा अंसारी बहक वो बनाम विपक्षी सं0–2 के निस्वत किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय कों प्राप्त नहीं है। यह कि प्रार्थी प्रतिवादी का निवेदन है कि निबंधित बसीयतनामा नं0 100 दिनांक 30.08.2012 नविस्ते अली मूसा अंसारी बहक वो बनाम रसीदा खातुन विपक्षी सं0 2 के उपस्थापित हो जाने के कारण इस वर्त्तमान न्यायालय के समक्ष दायर इस वाद में स्वत्व न्याय निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित हो जाता है जिसका निराकरण इस न्यायालय के दुवारा सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थी विपक्षीगण का निवेदन है कि पक्षकारो को उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारों का याचना करने के लिए निर्देश दें। निष्कर्ष के रूप मे प्राथी विपक्षीगण का निवेदन है कि वर्त्तमान वाद का विचारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वाहर है।

यह कि ब्यानात मुन्दर्जे दफा नं0–03 वाद पत्र गलत है स्वर्गीय अली मूसा अंसारी ने अपने जीवन काल में अपनी जायदाद को कभी भी तीनों लड़को के बीच नहीं बॉटा। बल्कि हकीकत यह है कि अली मूसा अंसारी अब मृतक मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताविक अपनी जायदाद को अपने इच्छा वो आवश्यकतानुसार डील किये वो उसी डिलींग के सिलसिला में अली मूसा अंसारी ने अपनी इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए रसीदा खातुन विपक्षी सं0–02 के पक्ष में निबंधित बसीयतनामा नं0 100 दिनांक 30.08.2012 राजी खुशी से अपने तन मन की पूर्ण स्वस्थावस्था में निष्पादित किये।

यह कि ब्यानात मुन्दर्जे वाद पत्र दफा नं0–04 गलत वों निराधार है ब्यानात को मजबुर प्रार्थी विपक्षी इंकार करते है। जब अली मूसा अंसारी ने अपने जीवन काल में अपनी हिस्से के जायदाद कों किसी भी बंटवारा के बाद अपने–अपने हिस्से पर शांति पूर्वक काविज दाखिल होने प्रश्न ही नही उठता है।

यह कि ब्यानात मुन्दर्जे दफा नं0– 05 वाद पत्र गलत है। जहॉ तक प्रार्थी विपक्षीगण को जानकारी है तथा जमीन खरीद कर अपना घर बनाये हुए है और लूधियाना में ही सपरिवार रहकर खुश हाली सें जीवन व्यतीत करते है। यह कि ब्यानात मुन्दर्जे दफा नं0– 06 वो 07 वाद पत्र गलत वो नारास्त है। ब्यानात मजकूर को प्रार्थी विपक्षी इंकार करते है। अली मूसा अंसारी बुढ़े जरूर थे लेकिन कभी बीमार नही हुए। अली मूसा अंसारी को कभी भी किसी से सेवा लेने की जरूरत नही हुई।

यह कि वादी का वादपत्र के दफा नं0– 07 में यह आरोप

गलत और निराधार है कि अली मूसा अंसारी कि बीमारी का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी अली मूसा अंसारी को इलाज के बहाने दरभंगा ले गये और एक जाली बसीयतनामा बनवा लिया। हकिकत यह है कि अली मूसा अंसारी बराबर स्वस्थ रहे उनकी चलते फिरते स्वभाविक मृत्यु हुई वे बीमार नहीं पड़े उन्हें किसी की सेवा की जरूरत नहीं हुई।

यह कि अली मूसा अंसारी की इच्छा हुई कि अपना जायदाद का आंशिक भाग रसीदा खातुन प्रार्थी विपक्षी सं0– 02 को बसीयत कर दूँ। अतएव अली मूसा अंसारी ने अपनी इच्छा शक्ति को कार्यन्वयन करने के लिए एक निबंधित बसीयतनामा अली मूसा अंसारी नं0 100 दिनांक 30.08.2012 बहक वो बनाम रसीदा खातुन अपने तन वो मन की पूर्ण स्वस्थावस्था राजी खुशी से बहक वो बनाम रसीदा खातुन तसरीर वो तामिल किये।

यह कि ब्यानात मुन्दर्जे दफा नं0– 08 वाद–पत्र गलत है। ब्यानात मजकूर को प्रार्थी विपक्षी इंकार करते है प्रार्थी विपक्षी को कभी भी वादी गुलाम मुस्तफा से उक्त बसीयतनामा के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई किन्तु यह बात सही है कि बसीयतनामा की जानकारी शुरू से ही है वो रहती आई।

यह कि ब्यानात मुन्दर्जे दफा नं0– 09 वाद पत्र अप्रसांगिक है। उल्लेखनीय है कि अली मूसा अंसारी ने सिर्फ रसीदा खातुन प्रार्थी विपक्षी सं0– 02 के नाम से ही निबंधित बसीयतनामा नहीं लिखी बल्कि अपने दुसरे लड़के के बीबी रूही नाजनीन जौजे मोहम्मद मुख्तार के पक्ष में निबंधित बसीयतनामा लिखे। ताज्जुब की बात यह है कि आवेदक गुलाम मुस्तफा को निबंधित बसीयतनामा नविस्ते अली मूसा अंसारी बहक वो बनाम रूही नाजनीन जौजे मो0 मुख्तार के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

यह कि आवेदक गुलाम मुस्तफा कोई भी अनुतोष पाये के हकदार नहीं है।

यह कि वादी का वाद में कानूनी दम नही है वाद में कई प्रकार की त्रुटियाँ है।

अतः प्रार्थी विपक्षी का प्रार्थना है कि आवेदक का वाद साथ हर्जा वो खर्चा के खारीज किया जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातो के अवलोकन से निष्कर्ष निकलता है कि वाद में स्वत्व न्याय निर्णीत करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है।

अतः वाद की कार्यवाही बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के धारा – 4 के उपधारा – 5 के आलोक में बंद करते हुए वाद को निष्पादित किया जाता है। पक्षकार उपचारों की याचना हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित ।

3/7/13
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बेनीपुर, दरभंगा ।

3/7/13
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बेनीपुर, दरभंगा।